राजस्व वाद संख्याः— 221/2023
रिसाल सिंह बनाम विक्रम वगै0
निर्णय दिनांकः—02..04.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— दयानंद रूयल, **(आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद सं.— **221/2023**

1. रिसाल सिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी काकोडा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

— वादीगण

बनाम

1. विक्रम पुत्र ईश्वरसिंह जाति जाट निवासी काकोडा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. जसवन्ती पत्नि स्व मनरूप जाति जाट निवासी काकोडा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी काकोडा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. विजयसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी काकोडा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. दीपचन्द पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी काकोडा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. रिछपाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी काकोडा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. अमरसिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी काकोडा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
8. अमीलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी काकोडा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
9. अनिलकुमार पुत्र दयानन्द जाति जाट निवासी काकोडा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
10. संदीप कुमार पुत्र दयानन्द जाति जाट निवासी काकोडा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
11. बडौदा क्षेत्रिय बैक ग्रामिण बैंक शाखा काकोडा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
12. राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः– 221/2023
रिसाल सिंह बनाम विक्रम वगै0
निर्णय दिनांकः–02..04.2024

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक –02.04.2024

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि राजस्व ग्राम काकोडा की सरहद में वादी की कृषि भुमि ख0न0 1046/381 के पुर्व में नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता मार्क A से B ख0 न0 1041/381 रकबा 0.0200है0 सही तरीके से दर्शाया जावे तथा 1041/381 रकबा 0.0200 है0 नजरी नक्शे के अनुसार नक्शे सीट पर A से B कायम किया पाये व बाकी भुमि नजरी नक्शे के अनुसार नक्शे सीट पर B से C से D से E से A वादी को नया खसरा न0 खातेदार काश्तकार घोषित का आदेश फरमाया जावे।

(ख) वादी के हिस्से 1041/381 को नजरी नक्शे के अनुसार नक्शे सीट पर रास्ता मार्क A से B ख0 न0 1041/381 रकबा 0.0200 है0 सही दर्शीत कर बाकी भूमि नजरी नक्शे के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित का आदेश फरमाया जाये।

(ग) यह कि अन्य सिद्वी जो वादी के लाभार्थ हो परन्तु भूल से चाही जाने से रह गई हो दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन जारी की गयी। रजिस्ट्री ए0डी0 प्राप्त हुई । तामील पर कोई हाजिर नहीं आया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 को आवाज लगावाई गई जिस पर कोई हाजिर नहीं आया अतः उनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी द्वारा राजस्व ग्राम काकोडा की सरहद में भुमि खसरा नम्बर 1046/381 कि वास्तुस्थिति एवं मौका रिकार्ड कि तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहसीलदार सूरजगढ को तहरीर जारी करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार सूरजगढ की मौका एवं रिकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामील पत्रावली किया गया। वादीगण के अधिवक्ता ने शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पी0डब्ल्यू0–1 वादी रिसालसिंह पुत्र श्योकरण का पेश किया जिसे शामील पत्रावली किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 ख0न0 1046/381 ग्राम मौजा काकोडा, नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 ख0न0 1041/381 ग्राम मौजा काकोडा, नकल नक्शा ख0न0 1041/381 ग्राम मौजा काकोडा, प्रतिलिपि अनुबंध।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः— 221/2023
रिसाल सिंह बनाम विक्रम वगै0
निर्णय दिनांकः—02..04.2024

बहस सुनी गई।

वादीगण के वकील ने बहस में बताया की वादी की कब्जे काश्त खातेदार की कृषि भुमि खाता न0 नया 334 पुराना खाता न0 292 में नया खसरा नम्बर 1046/381 रकबा 0.9000 है0 खसरा नं. 405 रकबा 0.9300 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.83 है0 व खाता न0 नया 183 पुराना खाता न0 147 में खसरा नं. नया 1041/381 रकबा 0.02000 है0, खसरा नं. 379 रकबा 0.1700है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19है0 कृषि भूमि का विभाजन वर्ष 1992 में सभी काश्तकारों की सहमती से जरीये अनुबंध विभाजन हुआ। खाता विभाजन होने के बाद भुमि पुराना ख.नं. 381 से नये खसरा नं. 1046/381, 1044/381, 1045/381, 1043/381, 1040/381, 1042/381, 1041/381 कायम हुए। खसरा नं. 1041/381 रास्ते के नम्बर कायम किये गए परन्तु खसरा नं 1041/381 का नक्शा सीट गलत दर्शाया गया है।

यह कि खाता विभाजन होने के बाद राजस्व अधिकारी क्षरा नक्शे में तरमीम करते समय वादी के हक हिस्से में आई भुमि की तरमीम व हिस्सा सही तरिके से दर्ज रिकोर्ड कर रिया जबकि वादी के हिस्से में ख0न0 1046/381 के पूर्व दिशा में भी भूमि हिस्से में आयी थी। लेकिन राजस्व अधिकारी ने स्वंय से नक्शे तरमिम करते समय ख0न0 1041/381है। गैर मुमकिन रास्ता को गलत तरिके से दर्शित कर दिया गया तथा 1041/381 का मोके पर भी रकबा ज्यादा बढा दिया जबकि राजस्व अधिकारी राजस्व रिकार्ड 1041/381 का रकबा 0.02 है0 दर्शित किया। वादी ख0न0 1046/381 व ख0न0 1041/381 दोनो के मध्य एक कटानी रास्ता उत्तर से दक्षिण अंकित है जो रास्ता ख0न0 379 को आबादी भुमि को जाता है। नजरी नक्शे के मुताबिक मार्क A से B को रास्ते में दर्शाते हुए भूमि ख0न0 1041/381 रकबा 0. 0200 गैर मु0 रास्ता का नक्शा सीट पर हजब कर नया रास्ता मार्क A से B कायम किया जाना न्यायोचित है व इसके नये ख0न0 भी कायम किया जाना न्यायोचित है। वादी के हिस्से 1041/381 को नक्शे सीट पर सही दर्शीत कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित का आदेश फरमाया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः– 221/2023
रिसाल सिंह बनाम विकम वगै0
निर्णय दिनांकः–02..04.2024

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपार्ट कमांक भू.अ./24/456 दिनांक 22.03.2024 के अनुसार राजस्व ग्राम काकोडा की नक्शा सीट में नजरी नक्शे में बिन्दू ABIHGFA को डोटेड लाइन से दर्शाया गया है का खसरा नम्बर 1041/381 रकबा 0.02 है, किस्म गै0मु0 रास्ता किया जाता है। बिन्दू AEDCBA के मध्य का क्षेत्रफल रकबा 0.37 है0 का नया खसरा नम्बर कायम किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1046/381 का शेष रकबा 0.53 है0 किया जाकर तहसीलदार को सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरजगढ़ रिपार्ट व नजरी नक्शा निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। पर्चा डिकी मुर्तिब हो।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 02.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:— 221/2023
रिसाल सिंह बनाम विक्रम वगै0
निर्णय दिनांक:—02..04.2024

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— दयानंद रूयल,(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.—221/2023

निर्णय दिनांक :—02.04.2024

रिसाल सिंह **बनाम** विक्रम वगै0

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरस्ती

वादी की ओर से **सुश्री संजू तंवर एड0** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 02.04.2024 को **दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

"न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार सूरजगढ. की रिपार्ट क्रमांक भू.अ./24/456 दिनांक 22.03.2024 के अनुसार राजस्व ग्राम काकोडा की नक्शा सीट में नजरी नक्शे में बिन्दू ABIHGFA को डोटेड लाइन से दर्शाया गया है का खसरा नम्बर 1041/381 रकबा 0.02 है, किस्म गै0मु0 रास्ता किया जाता है। बिन्दू AEDCBA के मध्य का क्षेत्रफल रकबा 0.37 है0 का नया खसरा नम्बर कायम किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1046/381 का शेष रकबा 0.53 है0 किया जाकर तहसीलदार को सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरजगढ़ रिपार्ट व नजरी नक्शा निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। पर्चा डिकी मुर्तिब हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **02.04.2024** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रूयल)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ